

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संचिका संख्या-10बी0/भू0अ0नि0 नीति -64/2015 /नि.रा. दिनांक-

:: संकल्प ::

विषय- मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा के भुगतानार्थ उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या-179/रा0, दिनांक-11.03.16 द्वारा राज्य सरकार ने कतिपय शर्तों के साथ यह निर्णय लिया था कि अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध रैयत होने के प्रमाण-पत्र के आधार पर मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को 10,00,000/- (दस लाख) रूपये मात्र तक के मुआवजा की राशि, सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना भुगतान किया जा सकेगा।

2. भूमि के मूल्य में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि तथा केन्द्रीय सरकार का भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप मुआवजा की राशि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है।

3. अतः विषय की महत्ता को देखते हुए लोकहित में विभागीय संकल्प सं0-179/रा0, दिनांक-11.03.16 को संशोधित कर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

i. उत्तराधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध रैयत होने के प्रमाण-पत्र के आधार पर मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को वर्तमान प्रति पंचाटी रूपये-50,00,000.00 (पचास लाख) मात्र तक के मुआवजा की राशि बिना सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये भुगतान किया जा सकेगा वशर्ते कि मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा के भुगतानार्थ उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र एवं अंचल कार्यालय से अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध एवं मान्य रैयत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी इस स्थिति में सर्वप्रथम मृतक पंचाटी के वास्तविक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के विषय में पूरी जाँच कर लेंगे तथा इस आधार पर यदि उपायुक्त संतुष्ट हो जाय तो मुआवजा की राशि का भुगतान किया जायेगा।

ii. ऐसे उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मुआवजा की राशि का भुगतान के समय, सरकार के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (Indemnity Bond) प्रस्तुत करना होगा कि कानून की दृष्टि में अगर कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह हकदार साबित होगा तो वे मुआवजा की सम्पूर्ण राशि अथवा आंशिक राशि, जो भी हो सरकार को वापस करने के लिए बाध्य होंगे।

iii. जहाँ प्रत्येक वर्तमान पंचाटी (मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों) को देय राशि 50,00,000 (पचास लाख) रूपये से अधिक हो जैसे मामलों में मृतक पंचाटी के दावेदार को, सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उपायुक्त अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए भुगतान करने का आदेश देंगे।



iv. मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारियों के नाम से दाखिल-खारिज करने में विलम्ब न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उपायुक्त अपने स्तर से अंचलाधिकारियों को निदेश देंगे कि मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों से आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अंचलाधिकारी, विहित प्रक्रिया के अनुपालन में उचित कार्रवाई कर, दाखिल-खारिज शीघ्र करेंगे, ताकि क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान में कोई विलंब नहीं हो। साथ ही, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में दाखिल-खारिज के पहले इस आशय की सामान्य नोटिस जारी कर सामान्य आपत्ति/प्रतिक्रिया अवश्य मांग ली जाय कि आवेदक को अमूक मृतक पंचाटी का उत्तराधिकारी मानने में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है।

4. मुआवजा राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से सीधे पंचाटी के उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-03.07.2018, के मद सं0-11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(उदय प्रताप)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 10बी0/भू0अ0नि0 नीति -64/2015...../नि.रा. राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय एवं प्रकाशन, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 10बी0/भू0अ0नि0 नीति -64/2015...../नि.रा. राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 10बी0/भू0अ0नि0 नीति -64/2015.....380...../नि.रा. राँची, दिनांक-10-07-18

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सदस्य, राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त के सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्ता, झारखण्ड/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

